

# जिला परिषद् कार्यालय, धनबाद ।

पत्रांक 691 दिनांक 14/5/2026

शुद्धि पत्र

जिला परिषद, धनबाद कार्यालय के 627, दिनांक-05.05.2026 द्वारा प्रकाशित अति अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या : 23/2025-26/DE/ZPDH/Dhanbad/3<sup>rd</sup>Call के PR 379077 (Rural Development) 25-26\*D में आंशिक संशोधन किया जाता है जो निम्नवत है :-


क्र	विवरणी	पूर्व निर्धारित तिथि	संशोधित तिथि
1	वेबसाईट पर निविदा प्रकाशन की तिथि	09-05-2026	16-05-2026
2	ई0-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	18-05-2026	23-05-2026
4	निविदा खोलने की तिथि	20-05-2026	25-05-2026

अन्य समय एवं शर्तें यथावत रहेंगे ।

हय

जिला अभियंता,  
जिला परिषद, धनबाद ।

ज्ञापांक / जि0प0, धनबाद, दिनांक-  
प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, धनबाद को सूचनार्थ समर्पित। अनुरोध है कि अति अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रण सूचना सं0-23/2025-26/DE/ZPDH/DHANBAD/3<sup>rd</sup> Call के व्यापक प्रचार एवं प्रसार हेतु दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने की कृपा की जाए।



जिला अभियंता  
जिला परिषद, धनबाद ।

# जिला परिषद, धनबाद

पत्रांक 627 / जि0प0, धनबाद, दिनांक- 05/05/2026

अति अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रण सूचना सं0-23/2025-26/DE/ZPDH/DHANBAD/3<sup>rd</sup> Call

क्र	प्रखण्ड	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	B.O.Q. मूल्य	अग्रधन राशि	समय अवधि
01	धनबाद	नवनिर्मित बरवाअड्डा थाना से जी0टी0 रोड तक सम्पर्क पथ का निर्माण।	46,48,000	5,000	B.O.Q. का 2%	3 माह

- वेबसाईट पर निविदा प्रकाशन की तिथि : 09-05-2026
- ई0-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक 18-05-2026 को 5 P.M. बजे तक
- निविदा खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 20-05-2026 को 3:00 P.M. बजे।
- केवल ई-निविदा (E-Tender) ही स्वीकार की जाएगी।
- निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी : जिला अभियंता, जिला परिषद, धनबाद
- ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष संख्या- 9431396945
- जिला परिषद, धनबाद के अन्तर्गत समुचित श्रेणी से निबंधित संवेदक ही निविदा में भाग लेंगे।
- परिमाण विपत्र विपत्र की राशि घट-बढ़ सकती है, तदनुसार अग्रधन की राशि देय होगी।
- निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि केवल **Online Mode** द्वारा स्वीकार्य होगी।
- निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि का ई-भुगतान जिस खाता से किया जायेगा, उसी खाते में **अग्रधन की राशि** वापस होगी। यदि खाता बन्द कर दिया जाता है तो सारी जवाबदेही संवेदक की होगी।
- योजनाओं की विवरणी एवं अन्य विस्तृत जानकारी वेबसाईट <https://jharkhandtenders.gov.in> में देखा जा सकता है।

ए0

जिला अभियंता  
जिला परिषद, धनबाद।

ज्ञापांक 627 / जि0प0, धनबाद, दिनांक- 05/05/2026  
प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, धनबाद को सूचनार्थ समर्पित। अनुरोध है कि **अति अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रण सूचना सं0-23/2025-26/DE/ZPDH/DHANBAD/3<sup>rd</sup> Call** के व्यापक प्रचार एवं प्रसार हेतु दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने की कृपा की जाए।

05/05/26


जिला अभियंता  
जिला परिषद, धनबाद।

## निविदा की अन्य शर्तें

01. निविदादाता को निविदा के साथ तीन वर्ष में किए गए कार्यों का विवरणी भुगतान प्रमाण पत्र देना होगा।
02. सरकार द्वारा मजदूरों के लिए स्वीकृत की गई वर्तमान दर का भुगतान अनिवार्य होगा।
03. अधोहस्ताक्षरी तथा सक्षम पदाधिकारी को किसी भी निविदा का बिना कारण बताये रद्द करने/स्थगित करने एवं एक से अधिक संवेदको को कार्य बांटने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
04. निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि केवल **Online Mode** द्वारा स्वीकार्य होगी।
05. निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि का ई-भुगतान जिस खाता से किया जायेगा, उसी खाते में **अग्रधन की राशि** वापस होगी। यदि खाता बन्द कर दिया जाता है तो सारी जवाबदेही संवेदक की होगी।
06. एकरारनामा की अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। किसी भी प्रकार का अवधि विस्तार स्वीकृत नहीं किया जायेगा। कार्य को निर्धारित अवधि में हर हालत में पुरा करना अनिवार्य होगा।
07. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
08. निविदा जिस संवेदक के पक्ष में निर्गत होगी उन्हें तीन दिनों के अन्दर फार्म एफ-2 पर एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ करना होगा अन्यथा विलम्ब होने पर कार्य आवंटन रद्द करते हुए राशि जब्त कर ली जायेगी।
09. संवेदक को प्रथम विपत्र के साथ लेबर लाईसेंस की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. **Quality Test Report** प्राप्त होने के पश्चात ही अंतिम भुगतान किया जायेगा।
11. खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम (10) का अनुपालन करना होगा। सभी व्यवहारित लघु खनिज को खनन पदाधिकारी द्वारा सत्यापित कार्य की MNF उपलब्धता पर सम्पादित कार्यों का भुगतान किया जायेगा।
12. निविदादाता जिस कार्य के लिए निविदा दे रहे हैं, वे स्वयं स्थल भ्रमण एवं सर्वे कर ही और उसकी सही स्थिति से संतुष्ट होने के बाद ही निविदा दर अंकित करें।
13. सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों, अनुदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
14. संवेदक त्रुटि पूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति एवं गलत व्यवहार के लिए पूर्णतः दोषी माने जायेगे।
15. संवेदको को सिमेन्ट एवं लोहा (छड़) की खरीदगी विभाग द्वार अनुमोदित कम्पनी से करनी होगी ताकि कार्य के गुणवत्ता पर नियंत्रण रखा जा सके।
16. किसी भी तरह का दर बढ़ोत्तरी मान्य नहीं होगी।
17. कार्य की प्राक्कलित राशि घट-बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि घट-बढ़ सकती है।
18. जिन संवेदकों का नाम विभाग Debar List में अंकित है, उन्हें परिणाम विपत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।
19. संवेदक के विपत्र से आयकर, जी0ए0टी0, रॉयल्टी, रैभ्यू आदि के अलावा सरकार के आदेशानुसार एक प्रतिशत राशि लेबर सेस कटौती की जायेगी।
20. GST Act 2017 के अन्तर्गत सभी शर्तें मान्य होगी।
21. निविदा के साथ आयकर एवं GST सफाई का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
22. वैसे संवेदक जिनका जिला परिषद, धनबाद में पूर्व से संचालित योजना लंबित या अपूर्ण रहने पर उन्हें नया कार्य आवंटित नहीं किया जाएगा।
23. स्थानीय संवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। विशेष परिस्थिति में योजनाओं/निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
24. **निधि के अभाव में संवेदक का विपत्र भुगतान में विलम्ब हो सकता है।**

  
05/05/26

जिला अभियंता,  
जिला परिषद, धनबाद।

05/05/26  
  
05/05/26

कतरास क्षेत्र में बिजली नहीं रहने से हो गयी.

## जिला परिषद् कार्यालय, धनबाद।

### शुद्धि पत्र

जिला परिषद्, धनबाद कार्यालय के 627, दिनांक-05.05.2026 द्वारा प्रकाशित अति अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या : 23/2025-26/DE/ZPDH/Dhanbad/3<sup>rd</sup> Call के PR 379077 (Rural Development) 25-26\*D में आंशिक संशोधन किया जाता है जो निम्नवत है :-

क्र	विवरणी	पूर्व निर्धारित तिथि	संशोधित तिथि
1	वेबसाइट पर निविदा प्रकाशन की तिथि	09-05-2026	16-05-2026
2	ई0-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	18-05-2026	23-05-2026
4	निविदा खोलने की तिथि	20-05-2026	25-05-2026

अन्य समय एवं शर्तें यथावत रहेंगे।

ह0/-

जिला अभियंता,  
जिला परिषद्, धनबाद।

PR 379884 (Rural Development) 26-27 (D)

## जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-नोडल पदाधिकारी (R) धनबाद

### आम सूचना

सरकार के सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय अधिसूचना संख्या 237, दिनांक 16.02.2016, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा स्कूली शिक्षा एवं लक्ष शिक्षा निदेशालय), झारखण्ड, राँची के ज्ञापक 1466, दिनांक 14.12.2020 तथा निदेशक, स्कूली शिक्षा एवं लक्ष शिक्षा निदेशालय, राँची के पत्रांक 1551, दिनांक 23.11.2023 में दिए गए निर्देशानुसार नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाधक अधिनियम 2009 की धारा 12(1)C के अंतर्गत जिले के सभी कोटि के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को छोड़कर) में शैक्षणिक सत्र 2026-27 की प्रवेश कक्षा की कुल सामर्थ्य संख्या के सीटों के विरुद्ध ऑनलाइन नामांकन हेतु आवेदन जिले के वेबसाइट rtedhan 06.05.2026 से आमंत्रित है तथा दिनांक 30.05.2026 तक आवेदन जा सकता है।

नामांकन संबंधित विस्तृत विवरणी जिले के वेबसाइट rtedhanbad.in पर उपलब्ध है।

PR 379961 School Education and Literacy(26-27).D

जिला शिक्षा

नोडल पदाधिकारी

